निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1011) पटना, बुधवार, 28 मई 2025

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

22 मई 2025

सं० 03/यो0स0क0–06/2025/4266—आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हुए उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने में सहुलियत प्रदान करता है। साथ ही लाभ और सेवाओं को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से प्रदान करने में, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करने में, प्रक्रियाओं को सरल बनाने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।

और जबकि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत **सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत बी0पी0एल0 परिवारों के 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को रू0 400 (चार सौ) प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। जिसमें से रू0 200 (दो सौ) केन्द्र सरकार द्वारा तथा रू0 200 (दो सौ) राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर रू0 500 (पाँच सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है, जिसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना अन्तर्गत देय राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से किया जाता है। साथ ही उक्त योजना के लिए व्यय बिहार सरकार की संचित निधि से किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार अपेक्षा करती है कि उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसे लाभार्थी को प्रमाणीकरण से गुजरना पड़े या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़े या किसी ऐसे लाभार्थी के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या आवंटित न हो, वे लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करे :-

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थातः

1. (1) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) अधिनियम, 2016 के धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, **समाज कल्याण विभाग** ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी तक नामांकन नहीं

हुआ है, अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा:

बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी जाती है, वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर के उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सकती है, जिसकी वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैद्य है या यदि समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्धक या अधिकृत है तो वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, जो तैयारी या रख–रखाव से संबंधित अधिकारियों के डेटावेस से प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता है। अर्थात :–

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए, जिन्हें आधार संख्या नहीं दी गई है:

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें ईआईडी शामिल है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात:–

(i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र।

(ii) राशन कार्ड।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र या निवास प्रमाण–पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो अंचलाधिकारी के पद से नीचे का न हो।

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र।

(v) भारतीय पासपोर्ट।

(vi) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण–पत्र या अंकों का विवरण, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज।

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड।

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

(x) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि **समाज कल्याण विभाग** विनिर्दिष्ट करे।

(4) **समाज कल्याण विभाग** द्वारा नामित पदाधिकारी खंड (3) के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों या उसकी विषय वस्तुको प्रमाणित करने वाली जानकारी के संबंध में जाँच करेगा,–

(क) माई आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें ताकि यह पुष्टि हो सके की ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, तथा इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी इकाई या किसी प्राधिकरण की सहायता ले सकता है तथा प्रस्तुत जानकारी को उनके साथ साझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित हैं।

2. लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से उक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लाभार्थियों को उक्त योजना के अन्तर्गत आधार की संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. जहां लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया गया हो, और वह किसी भी कारण से विफल हो जाय, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:–

(क) यदि प्रमाणीकरण की कोई विशेष बायोमेट्रिक आधारित विधि सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन–टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण की कोई अन्य विधि, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश की जाएगी;

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक–आधारित या ओटीपी–आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के तहत लाभ, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (यानी आधार संख्या धारक को उसके आधार नंबर के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई–आधार (यानी यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड–संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ) शामिल है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित Application के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के बाद।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, इसके लिए **समाज कल्याण विभाग द्वारा** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांकः 19 दिसम्बर 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी–26011/04/2017–डीबीटी, (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बन्दना प्रेयषी,
सचिव।

The 22nd May 2025

No. 03 / यो0स0क0–06 / 2025 / 4266—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas Social Welfare Department, Government of Bihar is administering **Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme** under this scheme persons belonging to the BPL family and in the age group of 60-79 get Rs. 400/- per month and those of 80 years and above get Rs. 500/- per month as pension through DBT in their bank account. The pension amount for pensioners in the age group 60-79 is Rs. 200/- as Central Share and Rs. 200/- as State Share,

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India and Bihar :

And whereas Social Welfare Department is desirous that the Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession

of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Bihar hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he/she shall be required to make an application for enrolment:

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, Social Welfare Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he/she may establish his/her identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he/she is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by Social Welfare Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing contents of such documents from the database of authorities dealing with preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Circle Officer;

(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class or higher secondary or 12^{th} class, issued by a recognised board of school education, showing date of birth;

(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) Driving licence issued in India:

(ix) Any other document as Social Welfare Department may specify:

(4) An officer designated by Social Welfare Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Social Welfare Department shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time

pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, Social Welfare Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

5. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
Bandana Preyashi,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1011-571+500-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in